

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 1973/वैशाख 1, 1895

No. 153] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 1973/VAISAKHA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1973.

S.O. 240(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the names of the candidates elected to fill the seats in the Council of States of certain members retiring on the 21st April, 1973, on the expiration of their term of office is published for general information:—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Kerala.

"In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of Sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:

1. P. K. Kunjachen, Peaceden, Thittamel, Chengannur,
2. V. A. Seyid Muhammed, Kandathy Parambil House, P.O. Edavanakkad,
3. Hamid Ali Shannad, Advocate, Sea View, Kasaragod,

have been duly elected to fill the seats in that House of three members retiring on 21st April, 1973 on the expiration of their term of office.

Place: Trivandrum.

Date: 29-3-1973.

(Sd.) R. PRASANNAN,
Returning Officer".

[No. F.13(4)/73-Leg.II.]
S. HARIHARA IYER, Jr. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधार्थ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 1973

का० प्रा० 240(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें 21 अप्रैल, 1973 को, अपनी पदावधि समाप्त होने पर, निवृत्त होने वाले कतिपय सदस्यों के स्थान राज्य सभा में भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है—

घोषणा

केरल विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप-नियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि 21 अप्रैल, 1973 को, अपनी पदावधि समाप्त होने पर निवृत्त होने वाले तीन सदस्यों के स्थान को सदन में भरने के लिए—

1. पी० कें० कुंजवेन, पीसदेन, थिट्टामल, चेंगाप्पूर,
2. वी० ए० सैय्यद मुहम्मद, कंडाथी पेरामविल हाउस, डाकघर एडवानक्कद,
3. हमीद अली शामनाद, अधिवक्ता, सी थू, कसरामोड,

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : त्रिवेन्द्रम,

तारीख: 29-3-1973 ।

(ह०) आर० प्रसन्न,

रिटनिंग आफिसर”

[सं० फा० 13(4)/73—विधा-II]

एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव ।